उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या-331/2015/2149(1)/38-1-2015-3569/2015

लखनऊ: दिनांक:09सितम्बर, 2015

<u>कार्यालय-आदेश</u>

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील सं0- 2608/2011 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य तथा उससे सहबद्ध सिंचाई विभाग की सिविल अपील सं0- 2679/2011 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम प्रेम कुमार सिंह व अन्य व अन्य सहबद्ध अपीलों में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 का आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

> In the ultimate analysis, we conclude and hold that Section 3(7) of the 1994 Act and Rule 8A of the 2007 Rules are ultra vires as they run counter to the dictum in M.Nagaraj (supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of Section 3(7) and Rule 8A shall remain undisturbed.

2- मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2012, दिनांक 21 अगस्त, 2015 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत कार्मिकों के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है-

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथासंशोधित) के नियम-8 (क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गई है, उन्हें पदावनत कर दिया जाए। पदावनत कार्मिकों को वित्तीय नुकसान न हो, इसके लिए वर्तमान में कार्मिको को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियत वेतन के रूप में वैयक्तिक रूप से तब तक अनुमन्य करायी जाए, जब तक की संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार उनसे आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन, उसके बराबर न हो जाए, परन्तु इसके कारण वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ इन पदावनत कर्मियों को प्राप्त नहीं होगा और इस नियत वैयक्तिक वेतन के आधार पर समान वेतन दिए जाने की मांग अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारको द्वारा इस आधार पर नहीं की जाएगी कि वे उनसे कनिष्ठ हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार दिनांक 15.11.1997 के पश्चात् पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8(क) का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हों, उस स्तर पर उन्हें पदावनत किया जाए।

3- कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2012, दिनांक 21 अगस्त, 2015 के प्राविधानों के अनुसार आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-561(शा0)/जी-114/15, दिनांक 31.08.2015 द्वारा दिनांक 15.11.1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8(क) का लाभ प्राप्त कर पदोन्नति कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत है, उस स्तर तक उन्हें पदावनत किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4- कार्मिक विभाग के उपर्युक्त शासनादेश सं0-4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2012, दिनांक 21 अगस्त, 2015 के अनुपालन में आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव का सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.1997 के बाद खण्ड विकास अधिकारी के पद पर प्रोन्नत श्री राकेश कुमार को उनसे कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हैं, के स्तर तक अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर तात्कालिक प्रभाव से पदावनत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5- उपर्युक्त पदावनत कार्मिक को वित्तीय नुकसान न हो, इसके लिए वर्तमान में कार्मिक को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियत वेतन के रूप में वैयक्तिक रूप से तब तक अनुमन्य कराई जाए जब तक कि संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार उनसे आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन, उनके बराबर न हो जाए, परन्तु इसके कारण वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ इन पदावनत कार्मिक को प्राप्त नहीं होगा और इस नियत वैयक्तिक वेतन के आधार पर समान वेतन दिए जाने की मांग अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारको द्वारा इस आधार पर नहीं की जाएगी कि वे उनसे वरिष्ठ हैं।

6- पदावनत किए जाने पर श्री राकेश कुमार को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा तथा आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन बराबर होने तक पदावनत कार्मिक को पदावनत पद के वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्वि देय होगी, किन्तु उक्त वेतन वृद्वि की धनराशि उसके वैयक्तिक वेतन में समायोजित होती रहेगी, अर्थात पदावनत कार्मिक की कुल परिलब्धियों फ्रीज रहेंगी,

7- पदावनत किए जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक का वेतन आसन्न वरिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर निर्धारित किया जाएगा तथा पदावनत किए जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक एवं आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियों का जो अन्तर होगा, वह नियत वेतन के रूप में वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जाएगा। यह वैयक्तिक वेतन प्रतिवर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुमन्य होने वाली वार्षिक वेतन वृद्वि में समायोजित होता जाएगा, अर्थात वैयक्तिक वेतन उस सीमा तक कम होता रहेगा, जब तक कि आसन्न वरिष्ठ कार्मिक का वेतन तथा पदावनत कार्मिक का वेतन बराबर न हो जाए।

8- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक, पदावनति के पश्चात् पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधायें प्राप्त करेंगे।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 331/2015/2149(1)(1)/38-1-2015- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
6. आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8. अपर आयुक्त (लेखा), कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. गार्ड फाइल्/चरित्र पंजिका।

आज्ञा से,

(एन0 के0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।